

वे-मोव्हे फचें मे वाताप्रा गाफा हें विद्
मो वें पर सीमा ज्ञान वारवे पर पाप्रा
गाफा हें विद् वादीया वें भूमि पर पडोसी
शुवातदारो द्वारा कब्जा वार श्रवा हें ।
ओर वादीया वें पावंद विप्रा गाफा वें
पत्थरगादी उादें लुकर आपने शुवातदारो
वें भूमि पत्थरगादी वारवे

वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तऐवज
मे घट्ट सिद्ध नही होता हें विद् प्रातवादी
अंश ने किस तरफ विगतनी भूमि पर
कब्जा वार श्रवा हें

अतः वाद सिद्ध नही होने से वादीया का
काम श्रवा शीघ्र विप्रा जाता हें ।

आज दिनांक २५.९.२०१९ को
वेम्प कोर्ट आमालीगाट मे सरे आम
शुताप्रा गाफा ।

पनावली कशाल शुमार हें पर
गाम्बर से काम हें ।



मूल बाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़

पीठासीन अधिकारी:- रामावतार, आर0ए0एस0

कम्युनिकेशन आफिसर

1- श्रीमती निर्मला देवी ^{उनवान} श्री बालमुक्कद साक्षात् ^{पनाम} ^{वादीया}

1- श्री धेनु सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत नि. दलैल सिंह जी

2 लहरी लदर साहब, हमीरगढ़

प्रतिवादीया

दावा बाबत 183 व 92 RTA

मुकदमा नम्बर :- 5/18

निर्णय नम्बर :- 24.5.18

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से
..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.5.18 को
..... (नाम पीठासीन अधिकारी) रामावतार, आर0ए0एस0 के समक्ष
अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वाद सिद्ध नहीं होने से वादीया का
वाद पत्र खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और
न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़